फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री हेमराज सालवी**
किस्म मुकदमा :– 53, 188 आरटीएक्ट

विपक्षी :– **श्री भंवरलाल मेघवाल**
पत्रावली संख्या :– 151/25
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/322

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 05.01.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 10.11.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। प्रारम्भिक डिक्री अनुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा गया। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की हाल जमाबंदी अनुसार वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर दिया है। वर्तमान जमाबंदी अनुसार वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि में वादी खातेदार ही नही रहा एवं अपने हक हिस्से का स्थानान्तरण किसी अन्य के पक्ष में कर दिया गया है। ऐसे में वादी को वर्तमान में बंटवाड़ा करवाने का कोई अधिकार नही है। क्योंकि वाद के विचाराधीन रहते हुए वादी स्वयं द्वारा अपने हक हिस्सो का स्थानान्तरण किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए वादी खातेदार होना आवश्यक है। ऐसे में अब वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नही रहने से इस वाद पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार वाद वादी इसी स्तर पर ड्रोप किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.01.21 13:55:55 IST
Reason: SelfAttested